## \*SPECIAL MENTIONS

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, we take up the Special Mentions. The Special Mentions are to be laid on the Table of the House.

## Demand to make an Effective Strategy to fight the deadly Non Communicable Diseases in the country

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): There is an urgent need to focus attention on what may be the world's quietest epidemic; the global surge in heart disease, cancer, diabetes and other non-communicable diseases.

In India, non-communicable diseases have eclipsed infectious diseases as the leading cause of death and now contribute to 53 per cent of the nation's mortality. Of compounding concern is the high prevalence of metabolic risk factors, such as high blood pressure and elevated levels of blood glucose and cholesterol. An estimated one-third of Indians have high blood pressure and more than one-quarter have elevated cholesterol.

The economic toll also is alarming. According to the World Health Organisation, India stands to lose US \$ 237 billion between 2004 and 2015 due to lost productivity from premature deaths caused by non-communicable diseases. India is not alone, the United States and many other nations are experiencing similar economic effect. In 2010, diabetics were 50.8 million, which may rise to 87 million by 2030. Due to cancer, 5,35,767 died during 2011.

Communicable diseases are globally on the rise. In fact, this year, non-communicable diseases will account for two of every three deaths worldwide.

There is a need to identify disease risk factors and developing strategies to reduce or eliminate these risks. Tobacco and many other risk factors for non-communicable diseases are well-recognized. However, others, such as salt consumption and exposure to smoke from unvented indoor cooking stoves, are less appreciated.

In view of the above worrying scenario, I would urge the hon. Minister of Health and Family Welfare to take necessary preventive/curative steps. Thank you.

## Demand to make Clear Agenda for RIO+20 Summit to be held in Brazil

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और विकास के मुद्दों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि 20 से 22 जून 2012 को ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरियो में एकत्रित होने जा रहे हैं। इस महासम्मेलन को रियो+20 का नाम दिया गया है। 20 वर्ष पूर्व (1992) भी रियो में 172 सरकारों के प्रतिनिधियों

<sup>\*</sup> Laid on the Table of the House

की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया था तथा पहली बार वैश्विक राजनैतिक पटल पर सतत विकास पर गंभीरता से चिंतन किया गया और माना गया कि सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय विकास को पृथक न कर समग्रता में देखते हुए विकास के मुद्दों पर कार्य करना चाहिए।

आगामी जून माह का रियो सम्मेलन विश्व स्तर पर होने वाला सबसे बड़ा सम्मेलन है, जो कि विकास के भविष्य का एजेंडा व रणनीति को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, किन्तु भारत सकरार द्वारा अभी तक अपना पक्ष या दृष्टि स्पष्टता से नहीं रखी गई और न ही लोक सभा व राज्य सभा में इस विषय पर चर्चा व बहस कराई गई है। यह निराशाजनक है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि 2015 तक सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को पाना नामुमिकन है, विश्व की आधी से अधिक भुखमरी हमारे देश में व्याप्त है, देश के 42 प्रतिशत लोग कुपोषित हैं, पीने के पानी और बिजली की उपलब्धता का संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कृषि भूमि लगातार सिकुड़ती जा रही है और खाद्य सुरक्षा व संप्रभुता का खतरा व्यापक होता जा रहा है।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि वह इस विषय पर अपना मत स्पष्ट करते हुए सदन में अपना वक्तव्य दे।

## Demand to Take Steps to Stop the Practice of Manual Scavenging and to Rehabilitate the Manual Scavengers in the Country

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : महोदय, वर्ष 2011 में सम्पन्न हुई पन्द्रहवीं जनगणना ने साफ किया है कि देश में अभी भी 794390 घरों में मानव मल को हाथ से साफ किया जाता है, जो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। जम्मू-कश्मीर में 10.7 फीसदी घरों में ऐसा होता है और उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल में भी इस मामले में आँकड़े अच्छे नहीं हैं। इस कुप्रथा को कर्णाटक सरकार ने सबसे पहले 1970 में प्रतिबंधित किया था, उसके बाद देश में 1995 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया। मैनुअल स्कैवेन्जिंग एक्ट, 1993 के प्रावधान प्रभावी ढंग से लागू न होने के कारण अभी भी बहुत से परिवार इस काम को कर अपना गुजारा कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस काम को करने वाले लोग पहले नशा करते हैं और फिर मैला वाले गड़ों में उत्तर कर काम शुरू करते हैं। उनके स्वास्थ्य पर नशे और मल में से निकलने वाली विषेली गैसों का ऐसा कुप्रभाव पड़ता है कि उनकी सेहत कुछ ही वर्षों में बहुत खराब हो जाती है। सर्वेक्षणों से भी यह बात निकल कर सामने आयी है कि इस काम को करने वाले लोगों की उम्र कम हो जाती है।

एक दूसरा पहलू यह है कि मानव मल साफ करने वाले व्यक्तियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण अभी भी सिदयों पुराना है और उन्हें घृणित दृष्टि से देखा जाता है। उनका पूरा सामाजिक स्तर गिर जाता है और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को समाज में कोई किसी प्रकार का काम देने से बचता है, जिससे वे मजबूरीवश उसी काम में लगे रहते हैं।

यह प्रथा अत्यंत निंदनीय है और विकास के इस पैमाने पर आकर यदि हम देश से मानव मल ढोने वाले व्यक्तियों को उस कार्य से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो यह सरकार के लिए और हम सबके लिए खेद की बात है।

मेरा सुझाव है कि ऐसे कामों को करने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार एक ऐसी योजना लाए, जिससे उनका संतोषजनक रोजगार एवं पुनर्वास किया जा सके और देश से यह कुप्रथा शीघ्रातिशीघ्र हटे।